पाठ्यपुस्तकों को स्कूल तक ले जाना

पार्थसारथी मिश्रा

सन 2016 की बात है। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। हम भारत के एक राज्य की राजधानी में थे जहाँ हमें उस राज्य की पाठ्यपुस्तकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया गया था। हम राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के संकाय और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य दो संगठनों से आए कुछ पाठ्यपुस्तक लेखकों के साथ काम कर रहे थे। अचानक उस प्रशान्त शैक्षिक माहौल की शान्ति भंग हो गई जब भीड़ का एक रेला नारा लगाते हुए एससीईआरटी भवन में घेराव करने के लिए आ घुसा। वे लोग एससीईआरटी के निदेशक को एक ज्ञापन देना चाहते थे। उनका आरोप था कि सरकार द्वारा शुरू की गई पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण की प्रक्रिया में 'घोर अनियमितताएँ' हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य की पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले बाहरी लोगों के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए। हमारे समूहों में हमारे साथ काम करने वाले एससीईआरटी के सहयोगियों ने हमें सलाह दी कि हम बाहर न निकलें। मैंने खिड़की से झाँका और यह देखकर चौंक गया कि प्रदर्शनकारियों में से अधिकांश लोग बीस-बाईस साल के थे!

शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यपुस्तक की अवधारणा और सन्दर्भीकरण करने की प्रक्रिया में शामिल लोगों के लिए पाठ्यपुस्तक का कथ्य तैयार करना बेहद कठिन कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिन लोगों को शिक्षार्थियों के लिए अच्छी पाठ्यपुस्तकों को डिज़ाइन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है वे अपनी ओर से नीतिगत दस्तावेज़ों में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन ईमानदार प्रयासों के बावजूद पाठ्यपुस्तक के लेखक अकसर ख़ुद को दोराहे पर खड़ा पाते हैं। उन्हें ऐसे कई हितधारकों के क्रोध का सामना करना पड़ता है जो अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों की वजह से पाठ्यपुस्तकों को भुनाने के इच्छुक होते हैं। इस लेख में पाठ्यपुस्तकों की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पाठ्यक्रम को पुस्तकों में परिवर्तित करने की वास्तविक प्रक्रिया का वर्णन और आलोचना करते हुए सामग्री चुनने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के तरीक़े पर प्रकाश डालकर उन्हें समग्र पाठ्यक्रम क्षेत्र के भीतर व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया समझाई गई है। यह लेख इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, रचना और वितरण में शामिल पक्षों के बीच सम्प्रेषण सम्बन्धी अन्तराल उन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने की पूरी क़वायद को प्रभावित करता है जो पाठ्यपुस्तकों के प्राथमिक उपयोगकर्ता माने जाते हैं।

पाठ्यचर्या के डिज़ाइनर, पाठ्यपुस्तक के लेखक, चित्रकार, प्रकाशक, शैक्षिक प्रशासक और नीति निर्माता अपनी विशिष्ट प्राथमिकताएँ और दृष्टिकोण रखते हैं जो अकसर एक-दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। किसी विशेष पाठ्यपुस्तक को डिज़ाइन करने में परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों को समायोजित करना वास्तव में एक अत्यन्त कठिन कार्य है।

पाठ्यपुस्तकों की अवधारणा का स्पष्टीकरण

भारत के कई हिस्सों में परम्परा है कि बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत पाठ्यपुस्तक की पूजा से होती है, जिसे *विद्यारम्भ* कहते है। बच्चे को पाठ्यपुस्तक से परिचित कराने की यह रस्म पाठ्यपुस्तक को औपचारिक अधिगम का पर्याय बना देती है। बच्चे के लिए यह श्रद्धा की वस्तु है,

एक उच्च आसन पर रखी जाने वाली कलाकृति, जिसके साथ उसे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि वह अपने खिलौनों, चित्र-पुस्तकों (ड्राइंग बुक्स) या अन्य घरेलू वस्तुओं के साथ करता है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो एक बन्धन के प्रतीक के रूप में उन्हें पाठ्यपुस्तक सौंप दी जाती हैं – अपनी सीखने की प्रगति को साबित करने के लिए। उनके शिक्षक के लिए भी शिक्षा का मतलब कक्षा में पाठ्यपुस्तक पढ़ाना है। इस प्रकार बेचारे शिक्षक के लिए पाठ्यपुस्तकें भय का कारण बन जाती हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक की सामग्री का अनुसरण न करने से शिक्षक को अधिकारियों, अपने शिक्षार्थियों और उनके माता-पिता के क्रोध और अस्वीकरण का सामना करना पड़ सकता है। वे चुपचाप पाठ्यपुस्तक के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं और अपने शिक्षक-प्रशिक्षक कार्यक्रमों में सीखे हुए शैक्षणिक अभ्यासों को त्याग देते हैं।

दरअसल पाठ्यपुस्तकों का पूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में उपयोग करने का तरीक़ा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के आधारपत्र की सिफ़ारिशों के ख़िलाफ़ है। पाठ्यपुस्तकों को दिए गए अत्यधिक महत्त्व को देखते हुए इस दस्तावेज़ में कहा गया है :

आज देश के अधिकतर विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकें कक्षा में हावी हैं। इसके कारण पाठ्यपुस्तक ने एक गौरवशाली और मानक रूपरेखा को अपना लिया है। ज़रूरत केवल एक पुस्तक की नहीं बल्कि शिक्षण-अधिगम सामग्री के एक पैकेज की है जो बच्चे को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल कर पाए। इस तरह पाठ्यपुस्तक इस पैकेज का एक अंग होगी, न कि शिक्षण-अधिगम की एकमात्र सामग्री (एनसीईआरटी, 2006:37)।

पाठ्यपुस्तकों की भूमिका और पाठ्यपुस्तकों की राजनीति दुनिया भर में बहस का विषय है। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों के स्वायत्त अधिगम पर बुरा प्रभाव डालती हैं और शिक्षकों की रचनात्मकता को नष्ट कर देती हैं। पाठ्यपुस्तकों के नकारात्मक दुष्प्रभावों की ओर इशारा करते हुए, कॉटसेलिनी (2012:33) ने कहा, "पाठ्यपुस्तकों द्वारा पाठ्यचर्या के प्रतिस्थापन का मतलब है शिक्षण प्रक्रिया को अन्तिम उत्पाद के वितरण के रूप में देखना, जो पाठ्यपुस्तकों की सामग्री के रूप में पहले से तैयार है और जिसे शिक्षकों द्वारा वितरित और विद्यार्थियों द्वारा याद किया जाना चाहिए।" कृष्ण कुमार (1986:1309) पाठ्यपुस्तक को 'शैक्षिक संस्कृति में शिक्षक की अधीनता की स्थिति' का प्रतीक कहते हैं।

लेकिन सन्तोषजनक बात यह है कि 18 जनवरी 2019 को जारी किए गए परिपत्र में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूलों, प्राचार्यों और शिक्षकों को "एक पूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने या इकाई के अन्त में दिए गए प्रश्न-अभ्यासों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करने" के परे जाना चाहिए।

भारतीय सन्दर्भ में पाठ्यपुस्तकों का स्वामित्व

भारत में पाठ्यपुस्तकों की रचना के लिए संस्थागत क्रियाविधि 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना के साथ शुरू हुई। इसके बाद एनसीईआरटी के निर्देश पर लगभग सभी राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की स्थापना की गई। हालाँकि एनसीईआरटी पूरे देश के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करता है, लेकिन राजकीय विद्यालयों के लिए पाठ्यपुस्तक रचना की क्रियाविधि अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है। कुछ राज्यों में एससीईआरटी या राज्य पाठ्यपुस्तक निर्माण और प्रकाशन के ब्यूरो को पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का काम सौंपा जाता है, तो कुछ राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद या प्राथमिक शिक्षा परिषद पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की प्रमुख एजेंसी होती हैं। कुछ राज्यों में एक से अधिक सरकारी प्रायोजित निकाय पाठ्यपुस्तकों की तैयारी में शामिल होते हैं और इसके परिणामस्वरूप इन अकादमिक निकायों के बीच बहुत अधिक शैक्षिक और प्रशासनिक वैमनस्य बढ़ जाता है।

शिक्षण सामग्री के चयन के लिए मानदण्ड

जब एक बार सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तक समिति का गठन हो जाता है तो उसके बाद समिति के सदस्य सामग्री के चयन के व्यापक सिद्धान्तों पर एक आम सहमति बनाने और सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए मिलते हैं। आमतौर पर इन विचार-मन्थन सत्रों में एससीईआरटी के निदेशक या किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले एक विशिष्ट विशेषज्ञ की अध्यक्षता में निम्नलिखित क्षेत्रों पर चर्चा की जाती है :

क. ऐसी सामग्री का चयन करना जो शिक्षा के उद्देश्यों और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो

ख. पाठ्यपुस्तक में कक्षा और आयु के अनुसार उपयुक्त विषय-सामग्री का चयन करना

ग. क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक विषय-सामग्री को सन्तुलित करना

घ. शैक्षणिक रूप से उपयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करना

ङ. सामग्री के चयन में वर्ग, जाति और लिंग की पारम्परिक प्रस्तुति से बचने का प्रश्न

च. विषय-सामग्री की कठिनाई का स्तर।

भाषा की पाठ्यपुस्तकों के मामले में भाषा शिक्षण के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण और उनके शैक्षणिक निहितार्थों पर अकसर सदस्यों में काफ़ी गर्म बहस होती है, जबकि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के मामले में सामग्री के चयन के सन्दर्भ में सदस्यों के वैचारिक दृष्टिकोण पर बहस और जाँच की जाती है।

प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के लिए पाठ्यपुस्तक के लेखकों को इस बात पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए कि वे ऐसी विषय-सामग्री का चयन करें जो बाल-केन्द्रित और आयु के उपयुक्त हो, लेकिन देश भर की प्रारम्भिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का विश्लेषण यह दर्शाता है कि बच्चों का पूर्वज्ञान, उनकी उम्र के अनुसार क्षमता और उनके वैचारिक विकास के स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। एक विशेष भारतीय राज्य की पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख करते हुए चोमल (2016:64) बताती हैं कि उम्र के हिसाब से उपयुक्त तरीक़े से जानकारी को चुनना, पेश करना और प्रस्तुत करना – इन बातों को पाठ्यपुस्तकों में *अपर्याप्त रूप से सम्बोधित* किया गया है।

पाठ्यपुस्तक की सामग्री के चयन में पुस्तक के आकार और भौतिक विशेषताओं के निहितार्थ शामिल होते हैं। सामग्री का अनुक्रमण, अध्यायों की लम्बाई और व्यवस्थापन, ग्राफ़ और तालिकाएँ, पाठ्य के कथ्य, चित्र, पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान व पढ़ने के बाद की जाने वाली गतिविधियाँ और अध्याय के अन्त में पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ्यपुस्तक की समग्र पठनीयता को बढ़ाते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक को डिज़ाइन करते समय लेखकों को यह तय करना होता है कि क्या उसके साथ एक अभ्यास पुस्तिका भी होगी और सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को डिज़ाइन करते समय लेखकों को पूरक या अतिरिक्त पठन सामग्री के लिए शीर्षक तय करना होता है।

पाठ्यपुस्तक के लेखक अकसर इस बात की वकालत करते हैं कि पाठ्यपुस्तक की सामग्री को अध्यापकों के लिए शैक्षणिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए शिक्षक मैन्यूअल तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन इस डर से कि शायद शिक्षकगण एक अलग शिक्षक मैन्यूअल को पढ़ने की तक़लीफ़ उठाना पसन्द न करें, पाठ्यपुस्तक के लेखक अकसर पाठ्यपुस्तक के अध्यायों के बीच कुछ शिक्षक-पृष्ठ जोड़ देते हैं। इन शिक्षक-पृष्ठों के अलावा जहाँ कहीं भी पाठ्यपुस्तक के लेखकों को लगे कि शिक्षकों को उन पृष्ठों की सामग्री का उपयोग करते समय विशिष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे पृष्ठों के नीचे भी शिक्षकों के लिए संक्षिप्त नोट्स दे दिए जाते हैं।

सम्भव है कि लोगों को पाठ्यपुस्तक की सामग्री का चयन करना एक सीधी-सपाट घटना लगे, लेकिन जो लोग पाठ्यपुस्तक लेखन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वही इस कष्ट को महसूस कर सकते हैं। अकसर देखा जाता है कि पाठ्यपुस्तक समितियों के सदस्यों की धारणाएँ अलग-अलग होती हैं

और उनके अनुभव का स्तर भी असमान होता है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण, कठोर सैद्धान्तिक आधार, राजनीतिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत समीकरण और संस्थागत सम्बद्धता जैसी बातें अकसर पाठ्यपुस्तक की सामग्री के चयन में बहुत अधिक वैमनस्यता पैदा करती हैं।

पाठ्यपुस्तक की विषय-सामग्री को कितनी बार बदलना चाहिए? यह देखा गया है कि कुछ राज्य पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार किए बिना ही पाठ्यपुस्तक के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कर्नाटक राज्य शिक्षा नीति (केएसईपी) द्वारा पाठ्यपुस्तक की सामग्री और पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण की आवृत्ति के सम्बन्ध में दिए गए दिशानिर्देश काफ़ी महत्त्वपूर्ण हैं। उक्त नीति दस्तावेज़ के अनुसार : "पाठ्यपुस्तकों के उपयोग को स्थायी करना महत्त्वपूर्ण है और अगर उनमें अशुद्धियाँ न हों तो कम-से-कम तीन साल तक विषय-सामग्री को नहीं बदलना चाहिए। हमें यह बात समझनी चाहिए कि अकसर समाज के ग़रीब वर्ग के विद्यार्थियों के पास स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के अलावा पढ़ने के लिए और कोई सामग्री नहीं होती। इसलिए पाठ्यपुस्तकों की विषय-सामग्री का ध्यान रखना बहुत महत्त्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे केवल परीक्षा के उद्देश्यों के लिए न लिखा जाए" (केएसईपी, 2016:54)।

पाठ्यपुस्तक लेखन की कठिनाइयाँ

इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि भारतीय पाठ्यपुस्तकों को अकसर मीडिया में नकारात्मक प्रचार क्यों मिलता है। तथ्यात्मक त्रुटियाँ, अनुचित विषय-सामग्री, व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ, अनुचित भाषा का प्रयोग, दोषपूर्ण चित्रण, उल्टे प्रकाशित पृष्ठ, खाली पृष्ठ या स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों के वितरण में अत्यन्त देरी होना आदि बातें सरकार के लिए बहुत शर्मिन्दगी का कारण बनती हैं। पाठ्यपुस्तक लेखकों को अपने कार्य के लिए बहुत कम समय मिलता है जो सबसे हानिकारक बात है। इसकी वजह से पाठ्यपुस्तक की सामग्री में ग़लतियाँ हो जाती हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में पाठ्यपुस्तक समितियों के सदस्य पूर्णकालिक व्यावसायिक पाठ्यपुस्तक लेखक नहीं हैं। वे कुछ दिनों के लिए पाठ्यपुस्तक लेखन कार्यशाला में भाग लेने के लिए एससीईआरटी में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं और इन कार्यशालाओं के दौरान वे सामग्री का चयन करते हैं तथा पहला मसौदा तैयार करते हैं, जिसे पूरे समूह द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है और समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

पाठ्यपुस्तक में दिए जाने वाले चित्र आमतौर पर सम्बन्धित एससीईआरटी के कलाकार या किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें केवल पाण्डुलिपि तैयार होने पर ही शामिल किया जाता है। पाठ्यपुस्तक के लेखकों और चित्रकारों के बीच शायद ही कोई बातचीत होती हो। विषय-सामग्री का समर्थन करने के लिए लेखक के मन में जिस तरह के चित्रों का विचार होता है और चित्रकार उसे जिस तरह से समझता है इन दोनों के बीच में एक समरूपता होनी चाहिए, लेकिन लेखकों और डिज़ाइनरों या चित्रकारों के बीच बातचीत या विचारों का आदान-प्रदान नहीं होने के कारण अकसर चित्र विषय-वस्तु व शैक्षणिक दृष्टि से अप्रासंगिक बन जाते हैं।

जिन शिक्षा अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाठ्यपुस्तकें भेजने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, उनके लिए इनका वितरण किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होता। राज्य की राजधानियों से पाठ्यपुस्तकों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए निविदाएँ आमंत्रित करना, परिवाहकों (ट्रांसपोर्टरों) का समय पर भुगतान करना, जिला या उप-मण्डल स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का भण्डारण और स्कूलों, बच्चों और पाठ्यपुस्तकों की संख्या से सम्बन्धित सांख्यिकीय कार्य आदि ऐसे कारक हैं जो देश के सरकारी स्कूलों में मुफ़्त पाठ्यपुस्तकों के वितरण को प्रभावित करते हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जब परिवाहक ज़िलों में किताबें ले जाने से इन्कार कर देते हैं क्योंकि उनके पिछले वर्ष की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। पाठ्यपुस्तकों को स्कूलों तक लेकर आना वास्तव में एक मुश्किल काम है!

References

Chomal, A. 2016. Workbooks or Playbooks?- Experience of Developing Workbooks for Rajasthan Government Schools, Learning Curve, Issue 25

National Council of Educational Research and Training. 2006. The Position Paper on Curriculum, Syllabus and Textbooks. New Delhi: NCERT

KJA. 2016. Karnataka State Education Policy. Karnataka Jnana Aaayoga, Bengaluru

Kumar, K. 1986. Textbooks and Educational Culture, Economic and Political Weekly, Vol. 21, No. 30, pp. 1309-1311

Koutselini M. 2012. Textbooks as Mechanisms for Teachers' Sociopolitical and Pedagogical Alienation, The New Politics of the Textbook, Constructing
Knowledge. Editors. Hickman H., Porfilio B.J.,Vol 2. Rotterdam, Sense Publishers

http://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2019/05_Circular_2019.pdf

---

पार्थसारथी मिश्रा ने नॉटिंघम विश्वविद्यालय (यूके) से स्नातकोत्तर और कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वे अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलूरु में एक विज़िटिंग फैकल्टी हैं। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भाषा पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम सामग्री विकास के बारे में पढ़ाने के अलावा वे विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ कंटीन्यूइंग एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रिसोर्स सेंटर के लघु अवधि के व्यावसायिक विकास कोर्सों के डिज़ाइन और सुगमीकरण में योगदान दे रहे हैं। उनसे partha.misra@azimpremjifoundation.org या misrapartha2018@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : नलिनी रावल **पुनरीक्षण :** सात्विका ओहरी **कॉपी एडिटर :** अंजना राव